प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

संख्या– 561 / डीएलआरसी / ल.वि.प्रा.(पुन0) / 2025 दिनांक–12, अक्टूबर, 2025

विषय – मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर स्थित ग्राम समाज की सामान्य उपयोगिता की (ऊसर, बंजर व नवीन परती) भूमियों के पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–38 / 08–14(2024–25) दिनांक–06, अक्टूबर, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के संरेखण में स्थित ग्राम समाज की सामान्य उपयोगिता की भूमियों के कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव पत्रांक–528 / डीएलआरसी / 2025 दिनांक 25.09.2025 में कतिपय कमियों का उल्लेख करते हुए तीन बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ से आवश्यक संशोधन कर यथावांछित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की तदसम्बन्धी आख्या पत्रांक–2011 / र0का0 / संशो0प्रस्ताव / 2025 दिनांक–17.10.2025 द्वारा मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ स्थित सामान्य उपयोगिता के कुल 91 गाटे कुल रकबा 9.9610हे. भूमि के पुनर्ग्रहण के संबंध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत उपलब्ध करायी है –

1. यह कि राजस्व अनुभाग–1, उ.प्र.शासन के शासनादेश संख्या–32 / 744 / एक–1–2016–20(5) / 2016 दिनांक 03, जून, 2016 के प्रस्तर 4(1)(झ)–" ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

   इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोहान रोड आवासीय योजना–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम है। संरेखण में स्थित सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, को पुनर्ग्रहण हेतु सहमति / अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत प्रेषित किये गये–

अ. कार्यालय पत्र संख्या–412 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–09, अप्रैल, 2025

ब. अनुस्मारक संख्या–434 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–09, मई, 2025।

स. अनुस्मारक पत्र संख्या–436 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–16, मई, 2025।

पर्याप्त अवधि के बाद भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासकीय हित में आवासीय योजना के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत पुनर्ग्रहण कराये जाने के अनुरोध के क्रम में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर संरेखण अन्तर्गत सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती कुल 91 गाटे

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 9.9610हे. भूमियों का पुनर्ग्रहण स्व–प्रेरणा से किए जाने हेतु स्व–प्रेरणा प्रस्ताव पत्र संलग्न कर प्रेषित किया है।

2 – यह कि राजस्व मानचित्र को तदनुसार संशोधित व हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

3 – यह कि बिन्दु संख्या–15 अ में त्रुटि को संशोधित करते हुए संशेधित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव नियत प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित किया है।

उक्त के अतिरिक्त **सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–1311/ए.सी./प्र./2025 दिनांक–13, अक्टूबर, 2025** में यह अंकित किया है कि– ''.........पर्याप्त अवधि के उपरान्त भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित/अनापत्ति जारी नहीं की गयी, जिसके कारण उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण किये जाने में विधिक अड़चन आ रही है। उपर्युक्त आवासीय योजना शासन की महत्वाकांछी योजना के अन्तर्गत हैं, जिसका शुभारम्भ मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 04.04.2025 को किया गया था। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लोक हित में उपर्युक्त आवासीय योजना के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत........भूमियों का पुनर्ग्रहण स्व–प्रेरणा से किए जाने का कष्ट करें।''

तद्नुसार उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर 4(1)(झ) में यह प्राविधानित किया गया है कि भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।'' उक्त के दृष्टिगत नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्रेषित पत्र व अनुस्मारक क्रमशः दिनांक 09.04.2025, 09.05.2025 व 16.05.2025 द्वारा प्रश्नगत पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में अनापत्ति/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये, लेकिन आज तक नगर निगम से कोई अनापत्ति/सहमति व जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 13.10.2025 में पर्याप्त अवधि व्यतीत होने के बाद भी नगर निगम द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु सहमति/अनापत्ति उपलब्ध न कराने एवं कार्य की अपरिहार्यता के दृष्टिगत शासकीय हित में स्व–प्रेरणा से पुनर्ग्रहण कराये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में आवासीय कालोनी विकसित किये जाने हेतु शासकीय हित में पुनर्ग्रहण की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

अतएव उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ से प्राप्त स्व–प्रेरणा प्रस्ताव दिनांक 17.10.2025 एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र दिनांक 13.10.2025 के कम में ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती भूमि कुल 91 गाटे रकबा 9.9610हे. भूमि का सःशुल्क पुनर्ग्रहण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मोहान रोड़ आवासीय योजना भाग–1 हेतु किए जाने हेतु प्रस्ताव राजस्व अनुभाग–1, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या 744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.6.2016 एवं समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों के अनुक्रम में सुसंगत अभिलेखो सहित मूलरूप में संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

DLRC
21/10/25
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
लखनऊ

पत्रांकः–1311 /ए.सी./प्र./2025 दिनांकः 13.10.2025

विषय–मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर में संरेखण में मध्य स्थित सामान्य उपयोगिता की भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु अनापत्ति/सहमति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मोहान रोड आवासीय योजना–1के अन्तर्गत स्थित ग्राम–कलियाखेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनीनगर, जनपद–लखनऊ नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित है। संरेखण में स्थित सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, को कार्यालय पत्र संख्या–412/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–09,अप्रैल 2025 व अनुस्मारक–संख्या–434/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–09 मई,2025 एवं पत्र संख्या–436/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–16,मई, 2025 द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु सहमति/अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये लेकिन पर्याप्त अवधि के उपरांत भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित/अनापत्ति जारी नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण किये जाने में विधिक अड़चन आ रही है।

उपर्युक्त आवासीय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत है जिसका शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 04/04/2025 को किया गया था।

अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लोक हित में उपर्युक्त आवासीय योजना के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत पुनर्ग्रहण कराये जाने के अनुरोध के क्रम में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 स्थित ग्राम–कलियाखेड़ा, परगना– बिजनौर, तहसील–सरोजनीनगर के संरेखण अन्तर्गत सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती कुल 91 गाटे रकबा 9.9610हे. भूमियों का पुनर्ग्रहण स्व–प्रेरणा से किए जाने का कष्ट करें।

भवदीय

13/10/25

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपिः– उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

भवदीय

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ

संख्या 2011 /रफका0/एलडीए. पुर्न0/2025 दिनांक– 17 अक्टूबर, 2025

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
लखनऊ।

विषय– मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 हेतु ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ के संरेखण के मध्य स्थित ग्राम समाज की सामान्य उपयोगिता की भूमियों के पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने पृष्ठांकन संख्या–4702/एडीएम–ई/2025 दिनांक–08, अक्टूबर, 2025 एवं 555/डीएलआरसी/25 दिनांक–17.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या–38/08–14(2024–25) दिनांक–06,अक्टूबर, 2025 मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के संरेखण में स्थित ग्राम समाज की सामान्य उपयोगिता की भूमियों के कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव पत्रांक–528/डीएलआरसी/2025 दिनांक 25.09.2025 में तीन विन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के अनुपालन में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ स्थित सामान्य उपयोगिता के कुल 91 गाटे कुल रकबा 9.9610हे. भूमि के पुनर्ग्रहण के संबंध में विन्दुवार आख्या निम्नवत है –

1. राजस्व अनुभाग–1, उ.प्र.शासन के शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03,जून,2016 के प्रस्तर 4(1)(झ)–" ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रवन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रवन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रवन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोहान रोड आवासीय योजना–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम है। संरेखण में स्थित सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, को कार्यालय पत्र संख्या–412/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–09,अप्रैल, 2025 व अनुस्मारक संख्या–434/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–09,मई, 2025 एवं पत्र संख्या–436/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण/2024 दिनांक–16,मई, 2025 द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु सहमति/अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये लेकिन प्र्याप्त अवधि के बाद भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासकीय हित में आवासीय योजना के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत पुनर्ग्रहण कराये जाने के अनुरोध के कम में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर संरेखण अन्तर्गत सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती कुल 91 गाटे रकबा 9.9610हे. भूमियों का पुनर्ग्रहण स्व–प्रेरणा से किए जाने हेतु स्व–प्रेरणा प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न है।

2 – राजस्व मानचित्र को तदनुसार संशोधित व हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

3 – विन्दु संख्या–15 अ में त्रुटि को संशोधित करते हुए संशेधित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव नियत प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

तदनुसार संशोधित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
सरोजनीनगर–लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

स्वप्रेरणा प्रस्ताव

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या–38 / 08–14(2024–25) दिनांक–06, अक्टूबर, 2025 के कम में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के संरेखण में स्थित सामान्य उपयोगिता के कुल 91 गाटे कुल रकबा 9.9610हे. भूमि के पुनर्ग्रहण के संबंध में राजस्व अनुभाग–1, उ.प्र.शासन के शासनादेश संख्या–32 / 744 / एक–1–2016–20(5) / 2016 दिनांक 03,जून,2016 के प्रस्तर 4(1)(झ)–" ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।" व्यवस्था प्रदत्त है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मोहान रोड आवासीय योजना–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम है। संरेखण में स्थित सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, को कार्यालय पत्र संख्या–412 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–09,अप्रैल, 2025 व अनुस्मारक संख्या–434 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–09,मई, 2025 एवं पत्र संख्या–436 / डीएलआरसी / पुनर्ग्रहण / 2024 दिनांक–16,मई, 2025 द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु सहमति / अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये लेकिन पर्याप्त अवधि के बाद भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासकीय हित में आवासीय योजना के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत पुनर्ग्रहण कराये जाने के अनुरोध के कम में मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 स्थित ग्राम कलियाखेड़ा परगना बिजनौर संरेखण अन्तर्गत सामान्य उपयोगिता की ऊसर, बंजर व नवीन परती कुल 91 गाटे रकबा 9.9610हे. भूमियों का पुनर्ग्रहण स्व–प्रेरणा से किए जाने हेतु स्व–प्रेरणा प्रस्ताव शासकीय हित में संस्तुति सहित प्रेषित है।

ले.प्र. / [signature] 12/10/2025 [signature] 17/10/25 [signature] 17/10/25

महोदया,
पुनर्ग्रहण के संबंध में श्रेणी परिवर्तन / विनिमय के संबंध में विभिन्न शासनादेशों तथा राजस्व अनुभाग-5 के पत्र सं R-798/5-43ए/2020 दिनांक 10-9-2024 के प्रस्तर 5 में वर्णित व्यवस्था अनुरूप स्वप्रेरणा प्रस्ताव शासकीय हित, लोकहित तथा सुनियोजित विकास के कारणों के आच्छादित होने के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ ~~प्रस्तुत~~ संस्तुति सहित प्रस्तुत।

[signature] 17/10/25

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुर्नग्रहण हेतु प्रस्ताव

1— जनपद — लखनऊ

2— तहसील का नाम — सरोजनी नगर

3— परगना का नाम — बिजनौर

4— ग्राम का नाम — कलिया खेड़ा

5— क्या ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है। — नहीं

6— प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल — कुल गाटे 91 क्षे0 9.9610 हे0

7— प्रस्तावित भूमि की श्रेणी व प्रकार — सभी गाटों की श्रेणी व प्रकार हेतु सूची पृथक से संलग्न है।

8— प्रस्तावित भूमि का विवरण/क्षेत्रफल — सभी गाटों के विवरण/क्षेत्रफल हेतु सूची पृथक से संलग्न है।

यूटीलाइजेशन के लिये आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल — कुल गाटे 91 क्षे0 9.9610 हे0

9— (क) क्या प्रस्तावित भूमि का जैसा उपरोक्त मद संख्या—7 में दिया गया है, के किसी का उपयोग कब्रिस्तान, शमशान, खाद के गड्ढे, खलिहान, कोल्हू या सड़क के लिये प्रयोग हुआ है।— नहीं

(ख) यदि हां तो कितने भाग में?

10— ग्राम की अकृषिक भूमि को योजनाबद्ध विकास कार्यों के लिए उपलब्ध भूमि का विवरण—

ग्राम का क्षेत्रफल (हे0 में)	स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का पूर्ण क्षेत्रफल (हे0 में)	हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0 मे0)	हस्तांतरण के पश्चात शेष क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण
1	2	3	4	5
164.9610	28.4050	9.9610	18.4440	नगर निगम

11— प्रस्तावित भूमि में कोई वृक्ष या जिन्स है, जिसका प्रतिकर देय हो। — नहीं

12— क्या प्रस्तावित भूमि पर कोई वाद लम्बित है? — नहीं

13— प्रस्तावित भूमि के कोई पट्टेदार या लाइसेन्सी नहीं है? — नहीं

14— ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है जिसे ग्राम स्वेच्छा से देने को तैयार है ? यदि नहीं तो औचित्य सहित प्रस्ताव भेजा जाये। — स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम) निहित सम्पत्ति है। नगर निगम से अनापत्ति अपेक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

15– प्रस्तावित भूमि की कीमत

(अ) जिलाधिकारी सर्किल दर सूची दिनांक 01.08.2025 के अनुसार भूमि मूल्याकंन गाटावार 1000 वर्गमीटर तक 5500रू प्रति वर्गमीटर तथा 1000 वर्गमीटर से अधिक परन्तु 1500वर्ग मीटर तक (रू0 5500 का 70 प्रतिशत) रू 3850 प्रति मीटर वर्गमीटर तथा गाटावार 1500 वर्गमीटर पश्चात शेष क्षेत्रफल 110 लाख रूपये प्रति हे0 की दर से 39,43,17000.00(उन्तालीस करोड तेतालीस लाख सत्रह हजार मात्र) होता है। शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के अनुसार शहरी क्षेत्र में 02 गुण के आधार पर मूल्याकन 78,86,34000.00(अठ्हत्तर करोड छियासी लाख चौतीस हजार मात्र) होता है

(ब) वर्तमान प्रचलित बाजार दर से –39,43,17000/– (उन्तालीस करोड तेतालीस लाख सत्रह हजार मात्र)

16– प्रस्तावित भूमि का पंजीकृत मूल्य –रू0 74708.00

17– पुनर्ग्रहण/ हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य –

प्रस्तावित भूमि का देर मूल्य	मूल्यांकन	पंजीकृत मूल्य	प्रस्तावित प्रतिकर
(अ) वर्तमान प्रचलित बाजार दर से	39,43,17000	74708.00	78,86,34000.00
(ब) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 63/1761/एक–1–2015–5–1–(43)/2009 –53 राजस्व अनुभाग–1 दिनांक 20 नवम्बर 2015 एवं शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के अनुसार	39,43,17000	74708.00	78,86,34000.00

18– प्रस्तावित/ पुनग्रहीत/ हस्तान्तरित भूमि का संलग्न मानचित्र है– संलग्न है

19– क्या ग्राम में कोई पात्र व्यक्ति है, जिसका आवंटन किया जाना अवशेष है यदि हां तो उसे भूमि का आवंटन करने के पश्चात प्रस्ताव भेजे। – नही (नगर निगम सीमा के अन्तर्गत है)

20– जिलाधिकारी संस्तुति–...

लेखपाल | रा0नि0 | ना0 तहसीलदार | तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ | उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner